"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017 —— श्रावण 2, शक 1939

### खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

आदेश

क्रमांक एफ 4-1/खाद्य/2014/29-1. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 सहपठित धारा 5 भारत सरकार के आदेश क्रमांक सा. का. नि. 800, दिनांक 17 जून 1978 एवं आदेश का. आ. 1600 (ड.) दिनांक 17 मई, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त आदेश में,-

1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 1 का लोप किया जाये.

2. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार सोनी**, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 4-1/खाद्य/2014/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार सोनी**, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 19th July 2017

ORDER

No. F 4-1/food/2014/29-1. — In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with Notification of the Government of India Number G. S. R. 800, dated 17th June, 1978 and Order S. O. 1600 (E), dated 17th May, 2017 and in accordance with the directions of the Central Government, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said order,-

1. In Schedule-I, the serial number 1 shall be omitted.

2. In Schedule-II, the serial number 1 and corresponding entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.